कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर।

पत्रांक : 5811 /आ0लि0–जि0अधि0–शाह0/2020 दिनांक : जुलाई, 01, 2020

आदेश

कोविड–19 महामारी की रोकथाम के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 40–3–2020–डीएम– (ए) दिनांक 29 जून, 2020 कोविड–9 के दौरान लॉकडाउन गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देशों (अनलॉक–2) के क्रम में गृह (गोपन) अनुभाग–3 के आदेश संख्या 1382/2020/सीएक्स–3 दिनांक 31 मई, 2020 को जारी निर्देशों को यथासंशोधित करते हुए उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक संख्या 1686/2020/सीएक्स–3 दिनांक 30 जून, 2020 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुपालन में जनपद में निम्न व्यवस्था प्रतिपादित की जाती है :–

1. **अनलॉक–02 दिशा निर्देश 31, जुलाई, 2020 तक प्रभावी रहेंगे।**
2. **कन्टेंमेंट जोन के बाहर निम्नलिखित गतिविधियों के अलावा शेष समस्त गतिविधियां अनुमन्य होंगी :–**

(1) समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान इत्यादि 31, जुलाई, 2020 तक बन्द रहेंगे। यद्यपि ऑन लाइन दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति पूर्व की भांति जारी रहेगी।
केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई, 2020 से कार्य करना आरम्भ करेंगे, जिनके लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा Standard operating procedure{SOP} पृथक से जारी की जाएगी।

(2) समस्त सिनेमा हॉल, जिम, तरण–ताल (Swimming Pool), मनोरंजन–पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान।

(3) समस्त सामाजिक/राजनैतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम एवं अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी। उपर्युक्त गतिविधियां को फिर से आरम्भ करने हेतु सोशल डिस्टेन्सिंग को सुनिश्चित करते हुए आदेश पृथक से निर्गत किए जाएंगे।

3– रात्रि–निषेधाज्ञा :–

जनपद में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 5.00 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा, केवल आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर जिनमें औद्योगिक इकाईयों की मल्टीपल शिफ्ट, राज्य एवं राजकीय राजमार्गों पर व्यक्तियों और माल आदि का परिवहन, माल की लोडिंग/अनलोडिंग और बसों, ट्रेनों व हवाई जहाजों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों/यात्रियों भी शामिल हैं। इस सम्बन्ध में धारा–144 Crpc के अन्तर्गत निषेधाज्ञा पृथक से जारी की जाएगी।

4– कोविड–19 के प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय नीति–निर्देशक :–

कोविड–19 के प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय नीति–निर्देशकों का अनुपालन किया जायेगा।

5– लॉक डाउन केवल कन्टेनमेंट जोन तक ही सीमित रहेगा :–

(1) कन्टेनमेन्ट जोन में लॉकडाउन 31 जुलाई, 2020 तक लागू रहेगा।
(2) संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने हेतु कन्टेनमेन्ट जोन का निर्धारण उत्तर प्रदेश सरकार (चिकित्सा विभाग) के शासनादेश संख्याः 1324/सेक–पांच–5–2020 दिनांक 23 जून, 2020 में उल्लिखित व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जाएगा। इन कन्टेनमेन्ट जोन/क्षेत्रों को सम्बन्धित वेब साइट पर दर्शित/नोटिफाइड किया जाएगा और इसे केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय MoHFW को भी प्रेषित किया जाएगा।

दिनाँक :– 2-7-2020	
कार्याधिकारी	
लेखाकार	
स0निरीक्षक	
अ0अधि0	
क0लेखा0	
एस0के0	
स0लि0	
संकलित	

Notice Board चस्पा, website upload

(3) कन्टेनमेन्ट जोन में केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेन्ट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, कन्टेनमेन्ट जोन में सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस-टू-हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होंगी। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा।

(4) कन्टेनमेन्ट जोन की गतिविधियों का कडाई से अनुश्रवण किया जाएगा और इस सम्बन्ध में कन्टेनमेन्ट जोन से सम्बन्धित मापदण्डों का भी कडाई से क्रियान्वयन कराया जाएगा।

(5) कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर ऐसे स्थान जहाँ कोविड-19 के संक्रमण के केस निकलने की सम्भावना हो उन्हें बफर जोन के रुप में चिन्हित किया जायेगा । बफर जोन के अन्दर यथावश्यक प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं।

6-कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हुए यथावश्यक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं :-

व्यक्तियों और वस्तुओं/माल आदि के राज्य के अन्दर और अन्तर्राज्यीय परिवहन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। इसमें माल/परिवहन से सम्बन्धित पड़ोसी देशों से की गयी संधियों की शर्तों के अनुरुप सीमा-पार परिवहन की अनुमति भी शामिल है।

7- SOP के साथ व्यक्तियों का आवागमन -

पैसेन्जर ट्रेन व श्रमिक ट्रेनों द्वारा आवागमन, घरेलू हवाई यात्राएं, विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों का आगमन, विदेशी राष्ट्रिकों को निकालने से सम्बन्धित आवागमन की अनुमति निर्धारित **SOP** के अनुसार प्रदान की जायेगी।

8- संक्रमण के खतरे के प्रति संवेदनशील (Vulnerable) व्यक्तियों की सुरक्षा :-

1. 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता **(co-morbidity)** अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, घरों के अन्दर ही रहेंगे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो।

9- आरोग्य-सेतु एवं आयुष कवच कोविड ऐप का प्रयोग :-

1. आरोग्य-सेतु ऐप शुरूआती संक्रमण के खतरे को पहचानने और संक्रमण के विरूद्ध व्यक्ति एवं समुदाय को सरक्षा प्रदान करता है।
2. कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर समस्त कर्मचारियों/कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना आवश्यक होगा।
3. प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य-सेतु ऐप एवं आयुष-कवच कोविड ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाए, जिससे कि उसका स्वास्थ्य सम्बन्धी स्टेटस ऐप पर अपडेट होता रहें। इससे खतरों के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को समय रहते चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सकेगी ।

10- गाइडलाईन का कड़ाई से क्रियान्वयन :-

नगर मजिस्ट्रेट एवं समस्त उप जिलाधिकारी उपरोक्त दिशा-निर्देशों का आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएगें।

11- दण्डात्मक प्रावधान :-

लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा-प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 5 से 60 तथा भा०द०वि० की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

//E://UNLOCK-2/2

उपरोक्त निर्देशों के साथ ही इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 07–06–2020 जो धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों/ कार्यालयों/ मॉल/होटल एवं रेस्टोरेण्ट आदि खोले जाने के सम्बन्ध में है, यथावत् जारी रहेगा। बाजारों के संचालन हेतु जारी इस कार्यालय के आदेश संख्या 5788/कोवि–19/आ0लि0–शाह0/2020 दिनांक 15 जून, 2020 में निर्धारित की गई व्यवस्था निम्न संशोधनों के साथ लागू होगी :–

1– समस्त कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ कोविड–19 के दृष्टिगत लागू प्रतिबन्धों के साथ यथावत चलती रहेंगी।

2– किराना की दुकानें – स्थानीय मण्डी केरुगंज एवं मण्डी बहादुरगंज में निम्नवत् व्यवस्था प्रभावी होगी :–

(A) उक्त मण्डियाँ थोक व्यापारियों हेतु प्रातः 05.00 बजे से 07.00 बजे तक सक्रियरहेंगी।

(B) खुदरा (रिटेलर) व्यापारियों हेतु उक्त मण्डियाँ प्रातः 07.00 बजे से 12.00 बजे तक प्रभावी रहेंगी।

(C) सामान्य जन हेतु उक्त मण्डियाँ प्रातः 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक प्रभावी रहेंगी।

नगर निगम को छोड़कर जनपद के सभी नगरीय क्षेत्रों में किराना की दुकानें प्रातः 09.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक खुलेंगी। समस्त नगरीय क्षेत्र, शाहजहाँपुर में दुकानों के संचालन हेतु निम्नवत् व्यवस्था प्रभावी होगी :–

क्र०सं०	स्लॉट	दुकानें/प्रतिष्ठान	अभियुक्त
1	प्रथम स्लॉट	1– ऑटो पार्टस	उक्त समस्त प्रतिष्ठान प्रातः 09.00 बजे से 03.00 बजे तक
		2–मशीनरी हार्डवेयर की दुकानें	
		3– इलेक्ट्रानिक व इलेक्ट्रानिक्स की दुकानें	
		4– बुक, स्टेशनरी व मोहर की दुकानें	
		5– सेनेटरी की दुकानें	
		6– लोहे/आइरन स्टोर	
		7– कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर की दुकानें	
		8–फोटोग्राफी/फोटोग्राफिक लैब	
		9– ग्लास/शीशे की दुकानें	
		10– सीमेन्ट/सरिया, बालू, मौरग, बास, बल्ली एवं पटरा/शटरिंग (समस्त भवन निर्माण सामग्री)	
		11–मछली–अण्डे आदि की दुकानें ।	

	द्वितीय स्लॉट	1– रेडीमेड गारमेंट्स	उक्त समस्त प्रतिष्ठान अपराह्न 02.30 बजे से रात्रि 08.30 बजे तक खुलेंगे। **नोटः अन्य व्यवसायों से जुड़ी दुकानें/प्रतिष्ठान जो किसी भी स्लॉट में नहीं है, इस स्लॉट में खुलेंगी।**
		2– कपड़े की दुकानें/ वस्त्रालय।	
		3– जूता–चप्पल इत्यादि की दुकाने।	
		4– बर्तन की दुकानें।	
		5– आभूषण की दुकानें (नगर निगम क्षेत्र हेतु)	
		6– फर्नीचर की दुकानें।	
		7– टेलरिंग शाप।	
		8– लॉड्री की दुकानें।	
		9– मोबाइल की दुकानें।	
		10– गिफ्ट एवं खेलकूद की दुकानें।	
		11– बिसातखाने/श्रंगार प्रसाधन/ कास्मेटिक की दुकानें।	
		12– क्राकरी एवं प्लास्टिक की दुकानें।	
	तृतीय स्लॉट	1–दूध–मिठाई, नमकीन समोसा	उक्त समस्त प्रतिष्ठान प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 08.30 बजे तक संचालित रहेंगे।
		2–सब्जी एवं फल आदि की दुकानें	
		3–सैलून, ब्यूटी पार्लर, नाई की दुकानें	
		4–फूल–माला की दुकानें	
		5–खाद–बीज एवं पेस्टीसाइट की दुकानें	
		6–कृषि उपकरण की दुकानें एवं मरम्मत के वर्कशाप	
		7–टेण्ट हाउस	
		8–बर्फ फैक्ट्री	
		9–जन सेवा केन्द्र	
		10– पान मसाला, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट की दुकानें	
		11–ऑटो मोबाइल की दुकानें (दुपहिया एवं चार पहिया वाहन)	
		12–चश्मों की दुकानें	
		13–प्रिंटिंग प्रेस/ऑफसेट/फ्लेक्स संबंधी दुकानें	
		14–ट्रैवलिंग, कोरियर एवं बुकिंग शॉप्स	

मेडिकल स्टोर प्रतिदिन प्रातः .09.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक खुलें रहेंगे। राजकीय मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित चिन्हित मेडिकल स्टोर प्रत्येक दिवस 24 घण्टे खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त तहसीलों में स्थित मेडिकल स्टोर अतिरिक्त समय के लिए आपात स्थिति में उप जिलाधिकारियों की अनुमति से खोले जा सकेंगे।

नोट : रात्रि 09.00 बजे के बाद किसी भी प्रकार की कोई दुकान नहीं खुलेगी तथा उक्त अवधि के बाद (चिन्हित मेडिकल स्टोर को छोड़कर) किसी भी दुकान के खुले पाये जाने पर कठोर प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही की जायेगी।

पूरे जनपद में रविवार को साप्ताहिक बन्दी रहेंगी ।

3– सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियां राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन क्रियाशील रहेंगी।

4– शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेंगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मण्डी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगेंगी।

5– राजस्व ग्राम/मजरा यदि कन्टेनमेंट जोन होगा तो उक्त ग्राम/मजरों में खेती की जमीन पर रोपाई/बुआई हेतु न्यूनतम आवश्यकता एवं कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टर आदि के उपयोग की छूट होगी।

6– बारात घर का उपयोग शादी के लिए पुर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही किया जायेगा जिसमें 30 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी। शादी/बारात–घर पर किसी भी रूप में शस्त्र ले जाना वर्जित होगा उल्लघंन करने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

7– टैक्सी/मैक्सी–कैब सर्विस/थ्री–व्हीलर ऑटो/ई–रिक्शा को चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी/यात्री बैठाये जायेंगें। वाहनों में समस्त यात्रियों को फेस–मास्क/फेस–कवर पहनना अनिवार्य होगा, वाहनों में सेनेटाइजर पर्याप्त मात्रा में रखना आवश्यक होगा। इस प्रकार की व्यवस्था निजी कारों के संचालन में भी लागू होगी।

8– दो पहिया वाहनों का निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी। दो पहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को हेलमेट एवं मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा।

9– सभी प्रकार के वाहनों के संचालन में उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित के विरूद्व मोटर व्हीकल एक्ट के तहत विधिक कार्यवाही की जाएगी।

10– सभी प्रकार के वाहनों में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आरोग्य–सेतु ऐप एवं आयुष–कवच कोविड ऐप डाउनलोड कर उसके प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जाए।

<u>अन्य आवश्यक निर्देशः–</u>

1– मुख्य मार्केट में चार पहिया, दो पहिया वाहन का प्रवेश वर्जित रहेगा। चिन्हित पार्किंग स्थलों पर ही वाहन खड़े किये जायेगे।

2– जो, भी दुकानें खुलेगीं उनके समस्त दुकानदारों का फेस मास्क उवं ग्लब्स का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा एवं दुकाना में सेनीटाइजर की व्यवस्था करनी अनिवार्य होगी, जिससे कि आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को अगर उसने मास्क नहीं पहना तो बिक्री नहीं की जायेगी।

3– जन सामान्य को भी घर से बाहर निकलने पर फेस–मास्क/कवर लगाना अनिवार्य होगा। समस्त नगर पंचायत, नगर पालिकाओं तथा नगर निगम में उपरोक्तानुसार दुकानें खुलेंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में दुकाने प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 08.30 बजे तक खुली रहेंगी। पूरे जनपद में सभी प्रकार की दुकानों पर दुकानदार तथा ग्राहकों द्वारा सोशल–डिस्टेसिंग का पालन प्रत्येक दशा में किया जायेगा। सभी दुकानों पर कम से कम एक दूसरे से 06 फिट (02 गज) की दूरी सुनिश्चित की जायेगी और एक समय पर 05 से अधिक व्यक्तियों को इक्ठ्ठा होने पर अनुमति नहीं होगी। किसी भी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन पाये जाने पर लॉक डाउन की अवधि तक बन्द करने अथवा अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

लॉक–डाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्व आपदा–प्रबंधन अधिनियम–2005 की धारा 51 से 60 तथा भा०द०वि० की धारा–188 में दिए गए प्रावधानों के अर्न्तगत कार्यवाही की जाएगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(इन्द्र विक्रम सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट,
शाहजहाँपुर।

//E://UNLOCK-2/5

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
2– पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर।
3– मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहाँपुर।
4– अपर जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन), शाहजहाँपुर।
5– अपर जिला मजिस्ट्रेट, (वि0/रा0), शाहजहाँपुर।
6– मुख्य चिकित्सधिकारी, शाहजहाँपुर।
7– मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, संयुक्त जिला चिकित्सालय, शाहजहाँपुर।
8– नगर मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर को अनुपालनार्थ।
9– समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, जनपद शाहजहाँपुर।
10– समस्त विभागाध्यक्ष, जनपद शाहजहाँपुर।
11– जिला सूचना अधिकारी, शाहजहाँपुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त निर्देशों का व्यापक प्रचार–प्रसार दैनिक समाचार–पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें।

जिला मजिस्ट्रेट,
शाहजहाँपुर।

//EJ/UNLOCK-2/6